भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1141
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनएफएचएस-4 और एनएफएचएस-5 में दिए गए संकेतक

†1141. डॉ. डी. रवि कुमारः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एनएफएचएस-4 और एनएफएचएस-5 में उपलब्ध कई संकेतकों, जिनमें एनीमिया का प्रसार, महिलाओं और बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर, शिशु और बाल मृत्यु दर, प्रसवकालीन मृत्यु दर, स्वच्छता, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन तक पहुंच, लिंग अनुपात, यौन व्यवहार और घर में हुई मृत्यु शामिल हैं, को एनएफएचएस-6 की तथ्यात्मक जानकारी में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित तत्थात्मक जानकारी से इन संकेतकों को बाहर रखने के कारणों के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनएफएचएस-6 के दौरान इन संकेतकों से संबंधित आकड़ा एकत्र किया गया है और यदि हां, तो इस आकड़े को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव साक्ष्य-आधारित नीति नियोजन और दीर्घकालिक तुलनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए इन संकेतकों की रिपोर्टिंग में निरंतरता बहाल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) नामक एक एकीकृत सर्वेक्षण किया जाता है। यह सर्वेक्षण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा उनसे संबंधित विभिन्न क्षेत्रों, जैसे जनसंख्या की विशेषताएँ, प्रजनन एवं प्रजनन संबंधी वरीयताएँ, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, रुग्णता एवं स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग, महिलाओं का सशक्तिकरण आदि से संबंधित

आँकड़े उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के छठे चरण (2023-24) के राष्ट्रीय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी दिनांक 29.05.2026 को जारी किए गए।

एनएफएचएस-6 के राष्ट्रीय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की तथ्यात्मक जानकारी में सम्मिलित किए जाने वाले संकेतकों को एनएफएचएस-6 के लिए गठित तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की सिफारिशों के आधार पर अंतिम रूप दिया गया। जिसमें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग(डीडीडब्ल्यूएस), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय(एमओडब्ल्यूसीडी), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय(एमओएसपीआई), भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय(ओआरजीआई), नीति आयोग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग(डीईपीडब्ल्यूडी) तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) सहित विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे।

टीएसी ने सिफारिश की कि तथ्यात्मक जानकारी के लिए संकेतकों की सूची को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की डेटा हार्मोनाइजेशन पहल के अनुरूप अंतिम रूप दिया जाए, जिससे विभिन्न आधिकारिक आँकड़ों के स्रोतों में उपलब्ध विखंडित एवं असामंजस्यपूर्ण आँकड़ों के कारण उत्पन्न होने वाली असंगतियों से बचा जा सके। समिति ने यह भी सिफारिश की कि तथ्य-पत्रकों में केवल प्रमुख संकेतकों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित संकेतकों को ही सम्मिलित किया जाए, जिससे सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्षों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।

मंत्रालय द्वारा एनएफएचएस के आँकड़ों का समयबद्ध प्रसार सुनिश्चित करने के लिए नोडल एजेंसी के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है तथा प्रगति की सतत निगरानी एवं मध्यवर्ती चरणों की समीक्षा हेतु उच्च स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।
